दैनिक पंचांग

27 नवम्बर 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति



ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय
सूर्य	वृश्चिक में	धनु 07.53 बजे से
चंद्र	मिथुन में	मकर 09.58 बजे से
मंगल	सिंह में	कुंभ 11.45 बजे से
बुध	तुला में	मीन 13.18 बजे से
गुरु	सिंह में	मेष 14.48 बजे से
शुक्र	तुला में	वृष 16.28 बजे से
शनि	मीन में	मिथुन 18.27 बजे से
राहु	कुंभ में	कर्क 20.40 बजे से
केतु	सिंह में	सिंह 22.56 बजे से
		कन्या 01.08 बजे से
		तुला 03.19 बजे से
		वृश्चिक 05.33 बजे से

राहुकाल 10.30 से 12.00 बजे तक

शुक्रवार 2026 वर्ष का 331 वा दिन दिशाशूल पश्चिम **ऋतु** हेमन्त। विक्रम संवत् 2083 शक संवत् 1948 **मास** मृगशीर्ष (दक्षिण भारत में कार्तिक) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** तृतीया 09.49 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** आर्द्रा 15.09 बजे को समाप्त। **योग** शुभ 23.52 बजे को समाप्त। **करण** विष्टि 09.49 बजे तदनन्तर बव 20.12 बजे को समाप्त।

चन्द्रराशु 17.7 घण्टे **रवि क्रान्ति** दक्षिण 21° 05' **सूर्य दक्षिणायन** **कलि अहर्गण** 1872906 **जूलियस दिन** 2461371.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पादेव संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहादेव संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** जमादि उस्सानी **तारीख** 16 **विशेष** गणाधिप संकष्टी।

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
चर	05.55 से 07.23 बजे तक	रोग	05.38 से 07.1 बजे तक
लाभ	07.23 से 08.51 बजे तक	काल	07.11 से 08.43 बजे तक
अमृत	08.51 से 10.19 बजे तक	लाभ	08.43 से 10.15 बजे तक
काल	10.19 से 11.47 बजे तक	उद्वेग	10.15 से 11.47 बजे तक
शुभ	11.47 से 01.15 बजे तक	शुभ	11.47 से 01.19 बजे तक
रोग	01.15 से 02.43 बजे तक	अमृत	01.19 से 02.51 बजे तक
उद्वेग	02.43 से 04.10 बजे तक	चर	02.51 से 04.23 बजे तक
चर	04.10 से 05.38 बजे तक	रोग	04.23 से 05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभयोग- **शुभत्व** श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। **m.Jagrutidaur.com, Bangalore**

नीत गगन के नक्षत्र

3	5	7	8
157	159	188	116
445	780	340	233
788	889	449	279
दिन-133-		128-680	
मधुर डे-677-116		मधुर नाइट-149-	
मिलन डे-449-229		मिलन नाइट-223-559	

भविष्यफल

आज जन्म लिए बालक का फल.....

शुभ संवत 2083, शाके 1948, सौम्य गोष्ठ, मार्गशीष कृष्ण पक्ष, हेमंत ऋतु, गुरु उदय, पूर्वे शुक्रोदय, पूर्वे तिथि, तीज, शुक्रवार, आद्रा नक्षत्रे, सा/शु योगे, वल करणे, मिथुन की चंद्रमा, भद्रा 18/51 श्रीगणेश चौथ व्रत, चंद्रोदय रात्रि 8/23 सर्वार्थ सिद्ध योग 33/38 तथापि पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ तथा उत्तम फलदायक होगी।

आज जन्म लिया बालक योग्य, बुद्धिमान, चपल, चतुर, चंचल, उत्तम वृत्ति वाला, योगी-भोगी, कुशल वक्ता, जिद्दी-हठी, स्वाभिमानी, कार्यकुशल, प्रेस वाला, धनी होगा।

मेष राशि : बाधाओं से विचलित न हों, स्त्री शरीर कष्ट, मानसिक उद्विग्नता अवश्य बनेगी।

वृष राशि : शुद्ध गोचर रहने से समय की अनुकूलता से लाभान्वित हों, रुके कार्य बन जायेंगे।

मिथुन राशि : कार्यवृत्ति अनुकूल, चिन्तायें कम हों, स्त्री-वर्ग से हर्ष-उल्लास अवश्य ही बनेगा।

कर्क राशि : दैनिक स्थिति में सुधार, चिन्तायें कम हों किन्तु स्वभाव में खिन्नता बनेगी।

सिंह राशि : संघर्ष फलप्रद रहे, सोचे कार्य समय पर बनेंगे, मित्रों से सुख व सहयोग मिलेगा।

कन्या राशि : दैनिक व्यवसायिक गति अनुकूल होगी, क्लेश व अशांति, समय व्यर्थ जायेगा।

तुला राशि : सोचे कार्य समय पर पूर्ण होंगे तथा बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि : प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, मनोवृत्ति-भावनायें उत्साहवर्धक अवश्य होंगी।

धनु राशि : स्थिति कुछ असमंजस में रखे, विघटनकारी तत्व परेशानी पैदा करेंगे, सतर्क रहें।

मकर राशि : घटना का शिकार होने से बचें, स्वभाव अनुकूल रहेगा, धनागमन से शांति होगी।

कुंभ राशि : उद्विग्नता-असमंजस का वातावरण क्लेशयुक्त रहे, कार्य से संतोष होगा।

मीन राशि : कार्यवृत्ति में सुधार, कुछ नई चिन्तायें मन उद्विग्न रखेंगी, धैर्य से कार्य करें।

उड़द की दाल से करे गरीबी दूर, करे अनसुने उपाय

शनिदोष दूर करने के लिए- शनि दृष्टि दोष दूर करने के लिए उड़द की दाल के 4 बड़े दाने शनिवार को प्रातः सिर से 3 बार उलटा घुमाकर कौओं को खिलाएं। ऐसा सात शनिवार तक करेंगे तो शनिदोष दूर हो जाएगा। उड़द का दान करने से भी शनिदोष कम होता है। किसी भिखारी को उड़द की कचोरी खिलाने से भी काम बनता है। किसी सफाईकर्मी को उड़द का दान कर सकते हैं।

गरीबी दूर करने के लिए- शनिवार को अपने फ्लंग के नीचे एक



बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है।

दुकान बंधी है यह कैसे जानें? यदि आपको लगता है कि आपकी दुकान किसी ने बांध रखी है तो आप रविवार की शाम को चालीस दाने लेकर उनपर चालीस बार निम्नलिखित मंत्र पढ़कर दुकान के चारों कोने में बराबर मात्रा में डाल दें। दूसरे दिन सुबह देखें कि उड़द के दाने साबुत हैं या कि उसमें से कुछ दानें छिटके, टूटे या फूटे हैं। साबुत है तो दुकान नहीं बंधी है और यदि साबुत नहीं है तो दुकान बंधी थी। मंत्र:- भंवर वीर तू चेला मेरा खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी किके जो मॉल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए।

नया उद्योग शुरू करने हेतु यदि आप व्यवसायी हैं, पुराने उद्योग के चलते नया उद्योग आरम्भ कर रहे हों तो अपने पुराने कारखाने से कोई भी लोहे की वास्तु ला कर अपने नए उद्योग स्थल में रख दें। जिस स्थान पर इस को रखेंगे वहां पर स्वस्तिक बनाएं और वहां पर थोड़े से काले उड़द रखें उसके ऊपर उस वस्तु को रख दें। ऐसा करने से नवीन उद्योग भी पुराने उद्योग की तरह सफलता पूर्वक चल पड़ता है।

गुरु महेश जैन, इंटरनेशनल ज्योतिषाचार्य अनुष्ठानकर्ता, राणापुर जिला झाबुआ मध्यप्रदेश, 7000098868 9425188009

बास्केटबॉल क्लब में लगेगी पुराने और दुर्लभ सिक्कों व नोटों की भव्य प्रदर्शनी

27 से 29 नवंबर तक सजेगा इतिहास का खजाना

इंदौर। इतिहास और मुद्राशास्त्र (Numismatics) में रुचि रखने वाले शहरवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है।

आगामी 27, 28 और 29 नवंबर 2026 को इंदौर के बास्केटबॉल क्लब (रेस कोर्स रोड) में तीन दिवसीय भव्य पुराने सिक्कों एवं दुर्लभ मुद्राओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में देश भर से आए जाने-माने संग्राहक (कलेक्टर्स) अपने दुर्लभ और ऐतिहासिक खजाने को आम जनता के लिए प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्घाटन इंदौर राजघराने के बड़े महाराज श्री शिवाजी राव होलकर द्वितीय (रिचर्ड होलकर) द्वारा किया जाएगा।

इस तीन दिवसीय आयोजन में हजारों वर्ष पुराने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक की मुद्रा-यात्रा को एक ही छत के नीचे देखने का मौका मिलेगा। प्रदर्शनी में विशेष रूप से प्राचीन भारतीय रियासतों, मौर्य एवं गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश भारत और इंदौर की गौरवशाली होलकर रियासत के दुर्लभ सोने, चांदी और तांबे के सिक्के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगे। इसके साथ ही पुराने और फैंसी सीरियल नंबर वाले करेंसी नोट भी प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी में पुरानी मुद्राओं का क्रय-विक्रय भी किया जा सकेगा।

प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण

ऐतिहासिक झलक: सदियों पुराने दुर्लभ सिक्कों, मेडल और कागजी मुद्राओं का अद्भुत संग्रह।

विशेषज्ञों से मार्गदर्शन: यदि किसी के पास पुराने सिक्के या नोट हैं, तो वे प्रदर्शनी में मौजूद विशेषज्ञों से उनके ऐतिहासिक महत्व और मूल्य की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री लोकेश खाविया ने बताया, हमारा उद्देश्य केवल पुराने सिक्कों को दिखाना नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना है। साथ ही लोगों को ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड से बचाना है, जिसमें माता इससे सभी को सावधान रहना चाहिए। हम इंदौर वैष्णो देवी के सिक्के या 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है के सभी नागरिकों, इतिहास प्रेमियों और विद्यार्थियों को इस भव्य प्रदर्शनी में पधारने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं।

सचिन बाम नेरे की भूमिका पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें, फिर निगम कर्मचारी बनकर कार्रवाई?

द्वारकापुरी सब्जी मंडी विवाद में नया मोड़, निगम के रिमूवल अमले के पुलिस वेरिफिकेशन की मांग; प्रमाण और तस्वीरों के साथ निगम आयुक्त से करेंगे शिकायत



इंदौर। द्वारकापुरी सब्जी मंडी हटाने के दौरान हुए विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेताओं विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने सचिन बाम नेरे नामक व्यक्ति की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि वह नगर निगम का कर्मचारी नहीं होने के बावजूद निगम कर्मचारी बनकर कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के साथ अभद्रता करता रहा।



कांग्रेस नेताओं ने सचिन बाम नेरे की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें भी सार्वजनिक करते हुए उसकी राजनीतिक संबद्धता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि भाजपा से जुड़े व्यक्ति को निगम कर्मचारी बताकर शासकीय कार्य में बाधा से संबंधित कार्रवाई का हिस्सा बनाए जाने का घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। आखिर जब व्यक्ति नगर निगम का कर्मचारी ही नहीं है, तो उसे निगम अमले की कार्रवाई से जोड़कर किस आधार पर प्रस्तुत किया गया?

नेताओं ने कहा कि नगर निगम की कार्रवाई के दौरान वास्तविक कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। यदि बाहरी लोग निगम कर्मचारी बनकर कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजू भदौरिया पर हमला करने वाले व्यक्ति को लेकर भी उसकी सरकारी कर्मचारी होने की पहचान स्पष्ट नहीं थी, जबकि घटना के वीडियो में कथित तौर पर हमला करते हुए दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। ऐसे मामलों में केवल नाम या पहचान का हवाला देकर प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने घोषणा की है कि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ प्रमाण सहित नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर इस पूरे मामले को उठाएंगे। साथ ही नगर निगम के रिमूवल विभाग में तैनात कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने और बाहरी लोगों की भूमिका की जांच कर उन्हें कार्रवाई से दूर रखने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि नगर निगम की कार्रवाई में शामिल लोगों की पहचान कौन सुनिश्चित कर रहा है और क्या निगम के नाम पर कोई भी व्यक्ति कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है?

न्यायालय तहसीलदार तहसील मल्हारगंज, इन्दौर

क्रमांक 1049/सी/2026 इन्दौर दिनांक 13/11/2026

आरसीएपएस प्रकरण क्र. 2666/अ-6/2026-27

:: उद्घोषणा ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक सुधीर पिता श्री शिवशंकर गर्ग, निवासी- 20/1 साउथ हाथीपाला इन्दौर (म.प्र.) निवासी के द्वारा ग्राम नैनौद स्थित भूमि सर्वे नं. 295 एवं 299 पैकि रकबा 0.046 (अर्थात 0.11 एकड या 5000 वर्गफीट) हेतु भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 4370 दिनांक 24/02/1997 को अनावेदक आदिनाथ एवं निर्माण सहकारी संस्था मर्या इन्दौर (म. प्र.) तर्फे अध्यक्ष श्री विजय पिता हीरालाल, निवासी लाबरिया भेरू इन्दौर (म.प्र.) निवासी से कय की गई होने से आवेदक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के अंतर्गत **रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण** किये जाने हेतु अवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

अतः उक्त भूमि के नामांतरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वह दिनांक 04/12/2026 के अन्दर अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। पेशी दिनांक 04/12/2026

तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज, इन्दौर (म.प्र.)

संपदा प्रबंधन म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल प्रक्षेत्र इंदौर
//आम सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि ईडब्ल्यूएस जवाहरनगर मंह जिला इंदौर में **श्री विनोद राय पिता श्री काशीराम राय** को भूखण्ड क्रमांक 71 ई.डब्लू.एस म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटी **श्री विनोद राय पिता श्री काशीराम राय** ने बजरें रजिस्ट्री दिनांक 06.09.2013 से **श्री राकेश वर्मा पिता श्री भागचन्द वर्मा** को विक्रय किया गया था। **श्री राकेश वर्मा पिता श्री भागचन्द वर्मा** ने मण्डल के रिकार्ड में उक्त भूखण्ड स्वयं के नाम से नामान्तरण ना कराते हुए बजरें रजिस्ट्री दिनांक 05.01.2023 को **श्रीमती रीता देवी पति श्री मान सिंह** को विक्रय किया गया तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख है कि मूल आवंटी एवं द्वितीय खरिदार को उनके निवास स्थान पर ढूंढा व तलाशा परन्तु उनका कहीं कोई अता पता नहीं चल सका है। वह सहपरिवार अन्यत्र कहीं बाहर चले गए है।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल निगमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी

सी. 2690 म.प्र.गृ.नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल इंदौर

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 22 इंदौर
जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश कुमार यादव पिता श्री रामस्वरूप यादव मो.नं. 1003258030 द्वारा झोन क्र. 22, वार्ड नं. 36 आवक क्र. 1659, दिनांक 26/11/2026 राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन 1003258030 पता 71 संस्कृति एनक्लेव, ग्राम निपानिया इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 27.11.2026 से 15 दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 22 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी

झोन क्र. 22, नगर पालिक निगम, इंदौर

इन्दौर समाचार

संपदा प्रबंधन म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल प्रक्षेत्र इंदौर
//आम सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्टेडियम ग्राउण्ड नंदानगर जिला इंदौर में **श्रीमती भारती कनोडिया पति श्री महेन्द्र कनोडिया** को भवन क्रमांक एम-264 एम.आय. जी-प्रथम म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटी **श्रीमती भारती कनोडिया पति श्री महेन्द्र कनोडिया** ने बजरें रजिस्ट्री दिनांक 01.05.2023 से **श्री लखन चावरे पिता श्री राकेश चावरे** के नाम से विक्रय किया गया तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख है कि मूल आवंटी को उनके निवास स्थान पर ढूंढा परन्तु उनका कहीं कोई अता पता नहीं चल संका है। वह अन्यत्र कहीं बाहर चले गए हैं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल निगमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

सम्पदा अधिकारी

सी. 2688/2 म.प्र.गृ.नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल इंदौर

न्यायालय तहसीलदार तहसील जूनी इंदौर, जिला – इंदौर

क्रमांकः 3728/ रीडर / 2026 इन्दौर दिनांक = 26117 12026

:: उद्घोषणा ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकपक्ष रेखा देवड़ा पति विनय देवड़ा, विनय देवड़ा पिता मिलापचंद देवड़ा निवासी- 81, तिलक नगर एक्सटेंशन, इंदौर ने अनावेदकपक्ष संजय अग्रवाल पिता गुलाबचंद अग्रवाल, हर्षिता अग्रवाल पिता संजय अग्रवाल, गुंजन अग्रवाल पिता संजय जी अग्रवाल तीनों निवासी-ई-9, रतलाम कोठी, इंदौर) म.प्र (. के विरुद्ध म. प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP7IGE17532026A100730793 दिनांक 16/06/2026 के आधार पर राजस्व ग्राम पिपल्याहाना स्थित भूमि खसरा क्रमांक 212/3 रकबा 0. 023 हेक्टेयर भूमि पर राजस्व अभिलेख में नामांतरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः आवेदित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में दिनांक 04/12/2026 तक प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 26/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।

आर.सी.एम.एस. प्रकरण क्रमांक 0933/अ-6/2026-27

तहसीलदार, तहसील – जूनी इंदौर

संपदा प्रबंधन म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल प्रक्षेत्र इंदौर
//आम सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि एम आय जी। स्टेडियम ग्राउण्ड नंदानगर इंदौर में स्थित भवन क्रमांक एम-211 **श्रीमती उषा कोष्टि पति श्री बालमुकुन्द कोष्टि** को म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटी **श्रीमती उषा कोष्टि पति श्री बालमुकुन्द कोष्टि** ने उक्त भवन बजरें रजिस्ट्री दिनांक 14.01.2002 से **श्रीराम सोलंकी पिता स्व. सुखराम सोलंकी** को विक्रय किया गया किंतु इनके द्वारा मण्डल में अपने नाम से नामांतरण ना करते हुए उक्त भवन को बजरें रजिस्ट्री दिनांक 06.12.2006 से **श्री अशोक शर्मा पिता श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा** को विक्रय किया गया है। तथा इन्होने मण्डल मे स्वयं के नाम से नामांतरण करने हेतु आवेदन किया है। जो कि विचाराधिन है। यहाँ यह भी उल्लेख है कि उक्त भवन के मूल आवंटी को एवं द्वितीय खरीददार को उनके निवास स्थान पर ढूंढा परन्तु उनका कहीं कोई अता पता नही चल सका है। वह अन्यत्र कहीं बाहर चले गए है।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल निगमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

सम्पदा अधिकारी

सी. 2688/1 म.प्र.गृ.नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल इंदौर

इंदौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्या. इंदौर

म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत पंजीयन क्र. 900, दिनांक 21.04.89
एफ. 85, रजत जयंती कामप्लेक्स, योजना क्र. 54 इन्दौर, फोन न. 2556681, 4201763

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करने में आता है कि, संस्था इन्दौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्या. इन्दौर संस्था सदस्य **निशांत पिता सुशील गुप्ता निवास म.नं. 274 बजरंग नगर, इन्दौर** में रहते है। अपने **पिता सुशील गुप्ता** के नाम की मालिकी वा आधिपत्य की मकान रजी. **मकान नं. 274 बजरंग नगर,** इन्दौर की मकान रजी. को तारण किये जाकर संस्था इनको **7,00,000/- (सात लाख रूपये)** कर्ज दे रही है। किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन से 3 दिन में मय दस्तावेज के साथ सम्पर्क करें। उसके पश्चात किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

घनश्याम पाटिल (प्रबंधक)
इन्दौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्या. इन्दौर (म.प्र.)

इंदौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्या. इंदौर

म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत पंजीयन क्र. 900, दिनांक 21.04.89
एफ. 85, रजत जयंती कामप्लेक्स, योजना क्र. 54 इन्दौर, फोन न. 2556681, 4201763

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करने में आता है कि, संस्था इन्दौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्या. इन्दौर संस्था सदस्य **श्री सुशील स्व. पिता रामदास गुप्ता निवास म.नं. 274 बजरंग नगर,** इन्दौर में रहते है। अपने स्वयं के नाम की मालिकी वा आधिपत्य की मकान रजी. **मकान नं. 274 बजरंग नगर, इन्दौर** की मकान रजी. को तारण किये जाकर संस्था इनको **7,00,000/- (सात लाख रूपये)** कर्ज दे रही है। किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन से 3 दिन में मय दस्तावेज के साथ सम्पर्क करें। उसके पश्चात किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

घनश्याम पाटिल (प्रबंधक)
इन्दौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्या. इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद राऊ जिला इंदौर

E-mail-morau@mpurban.gov.in

क्रमांक/2581/ लो.नि./ न.प./2026 दिनाक 06/11/2026

:: ऑन लाईन (online) निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सभी अधिकृत एवं पंजीकृत ठेकेदार/सरकपा/फर्मों को निम्न वर्णित कार्य के लिए ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत ऑफलाईन एम.पी ई टेण्डर पोर्टल (http://www.mptenders.gov.in) पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑन लाईन टेण्डर क्रमांक	कार्य की समयावधि एवं अनुमानित लागत (रूपये में)	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD (रूपये में)	निविदा जारी दिनांक	निविदा क्रय की अंतिम तिथि एवं समय
1	2		3	5		4
1	2026 UAD 548 348 1	1. 03 माह 2. 391729.81/-	construction of RCC 1Drain in ward no 14, Bohra Colony, Rau	1. 2000/- 2. 4000/-	06/11/2026 2026	दिनांक- 21/11/2026 समय- 18.00 घजे
2	2026 UAD 548 372 1	1. 03 माह 2. 1687896.00/-	HT Renewal Work in ward 07 Narmada Road in Rau	1. 2000/- 2. 12700/-	06/11/2026 2026	दिनांक- 07/12/2026 समय- 18.00 घजे
3	2026 UAD 548 382 1	1. 03 माह 2. 3409321.20/-	Construction of C.C. Overlay over existing CC Road in Various Gali ward no 13, OM Shri Sai Nath Colony, Rau	1. 5000/- 2. 25600/-	06/11/2026 2026	दिनांक- 07/12/2026 समय- 18.00 घजे

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन टेण्डर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल (http://www.mptenders.gov.in) पर ही किया जाएगा पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

श्रीमति पपी विजय पाटीदार
अध्यक्ष नगर परिषद् राऊ, इन्दौर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, राऊ (इंदौर)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

// जाहिर सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लेखित खसरा भूमि पर संस्था / कंपनी / व्यक्तियों को आवासीय भूखण्डीय विकास (SANSKRUTI ROYAL PALM PLATINUM) उपयोग को विकास अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखित स्थल पर विकास कार्यो पेटे निम्नानुसार भूखण्ड / स्कीम / प्रकोष्ठ धरोहर रखे गये है :-

क्र.	कॉलोनी/संस्था का नाम	ग्राम व खसरा क्रमांक	विकास अनुमति जारी करने का क्रमांक व दिनांक	धरोहर भूखण्डों का विवरण
1	मेसर्स बी.एस. डेवलपर तर्फे भागीदार (1) श्री विवेक गर्ग पिता श्री महेशचंद गर्ग, (2) श्री विशाल गर्ग पिता स्व. श्री ओमप्रकाश गर्ग, (3) श्री गौरव गर्ग पिता स्व. श्री ओमप्रकाश गर्ग, (4) श्री रिषित नागर पिता स्व. श्री संदीप नागर, पता - 21/3, मनोरमागंज, जिला इन्दौर (म.प्र.)	ग्राम पालदा, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर स्थित खसरा 269/1/2/1/1/2 (S). कुल रकबा 269/1/2/1/2/2(S). 269 / 1 / 2/3 (S) 0.520 हेक्टेयर (नेट रकीन एरिया 5200.00 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (SANSKRUTI ROYAL PALM PLATINUM) उपयोग की विकास अनुमति बाबद ।	पत्र क्रमांक 6734 कॉलोनी सेल / 2026 दिनांक /11/2026	विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से धरोहर पेटे अधिन्यास में लाल रंग से अंकित सदर स्थल का भूखण्ड क्रमांक क्रमशः पी-09, पी-10, पी-11, पी-15, पी-17, पी-20, पी-21, पी-22, पी- 25, इस प्रकार कुल 09 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 9303.3 वर्गफीट अर्थात 864 वर्गमीटर को गिरवीनामा ई-पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन न ब र) MP7IGR17522026102900762 ऑनलाईन दिनांक 04/11/2026 से धरोहर के रूप में बंधक (गिरवी) रखा गया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उक्त भूखण्डों / प्रकोष्ठों का क्रय-विक्रय नहीं किया जावे अन्यथा की स्थिति में निगम जवाबदेह नहीं होगा ।

आज्ञा से
आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर